उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या–क0नि0-2- 812० /ग्यारह–9(2)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(70)–2011

दिनांकः: 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा(1) के प्रथम परन्तुक और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके एवं सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1533/ग्यारह–9(2)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(23)–2008 दिनांक 30 मई, 2008 का अधिक्रमण करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से संकर्म संविदा के निष्पादन करने वाले व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी, जिसके द्वारा प्रान्त के अन्दर से खरीदे गये माल के प्रान्त के अन्दर पुनर्विक्रय का ही कारबार किया जाता है और जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष हेतु माल के विक्रय का आवर्त न तो ₹ 50 लाख से अधिक होने की सम्भावना है और न ही ऐसा आवर्त ऐसे कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में ₹ 50 लाख से अधिक था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सन् 2008 के उक्त अधिनियम की अनुसूची दो, तीन व पाँच में उल्लिखित माल के विक्रय पर संदेय कर के स्थान पर आधा प्रतिशत की दर से समाधान धनराशि के भुगतान का विकल्प ले सकता है:-

(1) पुनर्गठित फर्मों को छोड़ कर नया व्यवहारी जो दिनांक 01 अप्रैल, 2011 अथवा उसके पश्चात पंजीयन हेतु आवेदन करता है एवं पंजीकृत होता है तथा समाधान राशि के भुगतान का विकल्प लेता है, उसे वित्तीय वर्ष 2011-12 में अवशेष अवधि हेतु निम्न सुविधायें अनुमन्य होंगी :

(क) यदि ऐसा संव्यवहारी 30 जून, 2011 तक पंजीयन करा लेता है तो देय समाधान राशि में दस प्रतिशत की छूट ;

(ख) यदि ऐसा संव्यवहारी 01 जुलाई, 2011 एवं 30 सितम्बर, 2011 के मध्य पंजीकृत होता है तो समाधान राशि में पाँच प्रतिशत की छूट।

(2) दिनांक 01 अक्टूबर, 2011 अथवा इसके पश्चात पंजीकृत नये व्यवहारियों को समाधान राशि में छूट की सुविधा उपलब्ध नही होगी।

(3) ऐसे व्यवहारी के विरूद्ध पंजीयन के पूर्व किये गये व्यापारिक कार्य पर कोई अर्थदण्ड/कर आरोपण की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(4) कोई पात्र पंजीकृत व्यवहारी समाधान राशि के भुगतान के लिए वर्ष के दौरान कभी भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, बशर्ते ऐसे व्यवहारी के विरूद्ध करापवंचन का कोई प्रतिकूल तथ्य प्रार्थना-पत्र के प्रस्तुत करने के पूर्व प्रकाश में न आया हो। ऐसा व्यवहारी जिस टैक्स पीरियेड की अवधि के दौरान समाधान हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसी टैक्स पीरियेड से उसे समाधान राशि के भुगतान का लाभ अनुमन्य होगा।

(5) व्यवहारी द्वारा किसी एक कर निर्धारण वर्ष में समाधान योजना के लिये प्रार्थना-पत्र देने के पश्चात आगामी दो कर निर्धारण वर्षों तक पुनः प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता नही होगी, बशर्ते व्यवहारी समाधान हेतु अर्ह हो।

(6) ऐसा व्यवहारी जो समाधान राशि के भुगतान का विकल्प लेगा, वह,-

(क) अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत समाधान योजना की अवधि के दौरान खरीदे गये माल के पुनर्विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावा करने का हकदार नही होगा एवं जिन मामलों में उसके द्वारा ऐसी वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रसुविधा उत्क्रमित रहेगी और ऐसी उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि को धारा 14 के प्राविधानों के अधीन जमा किया जायेगा।

(ख) टैक्स बीजक जारी नही करेगा तथा माल के क्रेता से कर के रूप में अथवा उसे अन्य कोई नाम व स्वरूप देकर कोई धनराशि वसूल नही करेगा।

(7) व्यवहारी का आवर्त जिस दिन ₹ 50 लाख से अधिक हो जायेगा, उस दिन से उन्हें धारा 4 में प्राविधानित दर से नियमानुसार कर देना होगा।

(8) समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे व्यवहारियों के विरूद्ध जब तक कोई गम्भीर शिकायत प्राप्त नही होती, स्क्रूटनी अथवा जांच की कोई कार्यवाही नही की जायेगी।

(9) ऐसे व्यवहारी द्वारा त्रैमास के लिए देय समाधान धनराशि, त्रैमास की समाप्ति के 20 दिन के भीतर राजकीय कोषागार में जमा करते हुए चालान की प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी के कार्यालय में जमा की जायेगी।

(10) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 32 के उपनियम (6) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित वार्षिक विवरणी निम्न प्रारूप में दिया जायेगा:

प्रारम्भिक रहतिया ₹ में	कुल खरीद की धनराशि	कुल बिक्री की धनराशि	अंतिम रहतिया ₹ में	देय समाधान राशि	जमा समाधान राशि का विवरण ₹ में

उक्त के साथ खरीद की सूची, जिसमें विक्रेता व्यापारी का नाम एवं पता, टिन नम्बर, बिल नम्बर/दिनांक, बिल की धनराशि तथा वस्तु का नाम अंकित हो निम्न प्रारूप में अथवा खरीद के बीजकों की क्रमांकित एवं स्वयं सत्यापित फोटो प्रतियाँ दाखिल की जायेगी :

विक्रेता का नाम एवं पता	विक्रेता का टिन नम्बर	सेल/टैक्स इनवाईस का क्रमांक एवं दिनांक	वस्तु का नाम	सेल/टैक्स इनवाईस के अनुसार सकल धनराशि
1	2	3	4	5

(11) किसी साझीदार अथवा स्वामी की मृत्यु अथवा अन्य कारण से व्यापार विखण्डित होने पर उक्त कारबार का उत्तराधिकारी (निष्पादक, प्रशासक या विधिक प्रतिनिधि) उसी व्यापार को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत पंजीकृत कराते हुए चालू रखता है तो समाधान के रूप में पूर्व जमा धनराशि का लाभ उत्तराधिकारी व्यापारी को प्राप्त होगा।

(12) इस सुविधा का विकल्प लेने का इच्छुक व्यवहारी, अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना-पत्र, जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 32 के उपनियम(6) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा, प्रस्तुत करेगा। एक बार दिया गया प्रार्थना-पत्र अपरिवर्तनीय होगा और ऐसे प्रार्थना-पत्र को देने वाला व्यवहारी इसे वापस लेने का हकदार नही होगा।

(13) यदि उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रार्थना-पत्र में प्रदत्त कोई तथ्य अथवा सूचना मिथ्या, गलत व फर्जी पायी जाती है तो कर निर्धारक प्राधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु,-

(1) आवर्त के आगणन हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-एक से पाँच में उल्लिखित वस्तुओं का विक्रय आवर्त को सम्मिलित माना जायेगा।

(2) यदि कोई व्यवहारी कर निर्धारण वर्ष की आंशिक अवधि के लिये व्यापार करता है तो आवर्त की गणना ₹ 50 लाख वार्षिक आवर्त के अनुपातिक आधार पर की जायेगी तथा इस हेतु माह के भाग को सम्पूर्ण माह गिना जायेगा।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव ।